## Conduct of Election Rules, 1961 (Statutory Rules and Order) Form 21C

#### (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 144-SANCHORE Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri JIVA RAM CHOUDHARY VILLAGE-ARANAY POST-ARANAY TEHSIL-SANCHORE DIST-SANCHORE PIN-343041 sponsored by INDEPENDENT has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : **JALORE** 

Dated: 03-12-2023



(BADRINARAYAN)
RETURNING OFFICER
144-SANCHORE
Legislative Assembly

निशासिस (एसे डी एम)

### निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (क़ानूनी नियम और आदेश)

#### प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

144 - सांचोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

# श्री जीवाराम चौधरी, मु. पो. अरणाय तह- सांचोर जिला- सांचोर, निर्दतीय

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- जालोर

दिनांक :- 03-12-2023



(बद्रीनारायण) रिटर्निंग अधिकारी 144 - सांचोर विधानसभा क्षेत्र रिटर्निंग ऑफिसर (एस.डी.एम)